19/12/24

उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। प्रार्थ. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विधिवत रिपोर्ट हल्का से लिखाया जाकर शामिल किया गया तहरीर जारी हो नंबर से कट हो

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/98

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 19:19:25 IST
Reason: SelfAttested

श्रीगंगानगर (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम जयलाल व अन्य

किस्म मुकदमाः– 84–86 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्याः– 20/2023 (GCMS No. 2023/98)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकारराज ने बताया कि तहसील सूरतगढ़ की रोही किशनपुरा के खसरा संख्या 414 का 8.00 बीघा रकबा मोहनदास, साजनदास, चुनीदास पि0 लाधूराम जाति बैरागी साकिन किशनपुरा के नाम धारा 15 एएए के तहत खातेदार एवं खसरा संख्या 415 का 10.00 बीघा मोहनदास, साजन, चुना पिसरान लाधु कौम बैरागी साकिन देह आरजी काश्तकार के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। चक 1 केएसपीएम के पत्थर नं. 11/4 के किला नं. 13, 14, 15 के मौका पर किला नं. 15 में दो खेजड़ी के पेड़ व उक्त प.न. 231/60 के किला नं. 5 में मौका पर पांच खेजड़ी के पेड़, दो बैर के पेड़, दो रोहिड़ा के पेड़ मौका पर कटे हुए मिले है। उक्त पत्थर के किला नं. 15 से दो पेड़ बैर के काटकर पत्थर नं. 11/12 के किला नं. 11 में कटे मिले। पत्थर नं. 11/4 का किला नं. 15 उमादेवी, बिशनदास वगैरा व पत्थर नं. 231/60 का किला नं. 5 भी उमादेवी बिशनदास वगैरा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त पेड़ अप्रार्थीगण द्वारा काटे गये हे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रति पेड़ शास्ति कायम की जावे तथा पेड़ो को निलामी के आदेश प्रदान किये जावें। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि जैर प्रकरण रकबा संयुक्त खाता का है। पुलिस जांच में रकबा से झाड़–झखाड़ हटाया जाना पया पाया गया है। वो भी भेड़ों के गवालियों द्वारा काटी गई है। अप्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप झुठे है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से मय खर्चा निरस्त किया जावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा जैरवाद रकबा से बिना अनुमति पेड़ काटा जाना अंकित किया है। मौका फर्द दिनांक 21.11.2022 में पटवारी हल्का किशनपुरा एवं उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा पेड़ काटा जाना अंकित किया है। जिसे सतपाल पुत्र मुखराम जाति जाट का सुपुर्द किये गये है। इसलिये अप्रार्थीगण बिना अनुमति सात पेड़ खेजड़ी, चार पेड़ बैर, दो पेड़ रोहिड़ा के काटे जाने पर धारा 84–86 के तहत दण्ड का भागी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 जयलाल पुत्र चुन्नीराम व अप्रार्थी संख्या 2 बिशनदास पुत्र काशीराम जाति बैरागी निवासी किशनपुरा द्वारा जैर प्रकरण भूमि चक 1 केएसपीएम में से बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के सात पेड़ खेजड़ी, चार पेड़ बैर, दो पेड़ रोहिड़ा काटे जाने पर प्रति पेड़ रूपया 100/– कुल 1300– रूपये का जुर्माना लगाया जाता है। उक्त मांग वसूली हेतु टी.आर.ए. के "घ" रजिस्टर मांग का अंकन किया जाकर वसूल करें तथा जब्तशुदा पेड़ों को निलाम करवाकर फर्द निलामी वास्ते स्वीकृति भिजवाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को लिखा जावे। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर [illegible] फर्द निलामी स्वीकृति प्राप्त होने पर पुनः पेशी में जावे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (रा.)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 19:19:25 IST
Reason: Self-Attested